

भौक्षिक परिप्रेक्ष्य में अन्तराष्ट्रीय सद्भावना के विकास हेतु सिद्धान्त

‘डॉ. नवीन आर्य,

शिक्षा— शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त भारीरिक्त, सामाजिक तथा आध्यात्मिक भाक्तियों का विकास होता है। इससे वह समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर, चरित्र सम्पन्न नागरिक बनकर समाज क सर्वांगीण उन्नति में अपनी भाक्ति का उत्तरोत्तर अनुप्रयोग करने की भावना से ओतप्रोत होकर संस्कृति तथा सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुनर्स्थापित करने के लिए प्रेरित हो जाता है। जिस प्रकार एक ओर शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करके उसे तेजस्वी, बुद्धिमान, चरित्रवान, विद्वान् तथा वीर बनाती है, उसी प्रकार दूसरी ओर शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी एक आवयक तथा भाक्तिमाली साधन है। दूसरे भावों में व्यक्ति की भाक्ति समाज भी शिक्षा के चमत्कार से लाभान्वित होता है। शिक्षा के द्वारा समाज भावी पीढ़ी के बालकों को उच्च आदर्शों, आकांक्षाओं, विवासों तथा परम्पराओं आदि सांस्कृतिक सम्पत्ति को इस प्रकार से हस्तान्तरित करता है कि उनके हृदय में देवप्रेम तथा त्याग की भावना प्रज्वलित हो जाती है। जब ऐसी भावनाओं तथा आदर्शों से भरे हुए बालक तैयार होकर समाज तथा देवकी सेवा का व्रत धारण करके मैदान में निकलेंगे तथा अपने जीवन में त्याग से अनुकरणीय कार्य करेंगे, तो समाज भी निरन्तर उन्नति के प्रखर पर चढ़ता ही रहेगा।

अन्तर्राष्ट्रीयता—

अन्तर्राष्ट्रीयता वि" व-बन्धुत्व की आध्यात्मिक भावना का राजनैतिक रूपान्तर है। यह विचार और कर्म का भावना और विवक का, अध्यात्म और राजनीति का ऐसा समन्वय है जिसका उद्देश्य" य प्रत्येक राष्ट्र को संकीर्णता की संकुचित सीमाओं से मुक्त करके एक ऐसे वातावरण का सृजन करना है, जहाँ विभिन्न राष्ट्रों के मध्य भ्रान्ति, सहयोग, सद्भावना तथा सह- अस्तित्व की भावना का सम्यक् विकास हो सके।

अन्तर्राष्ट्रीयता के अंकुर हमें सुदूर अतीत में मिलते हैं। मानव अपनी सभ्यता के उशाकाल में ही "वसुधैव कुटुम्बकम्" के उदात्त आदर्श" र्ण से अवगत था। इस आदर्श" र्ण को मूर्तरूप देने के लिए उसने समय-समय पर प्रयास भी किये, किन्तु वास्तविक अर्थों में अन्तर्राष्ट्रीयता आधुनिक युग, वि" शकर बीसवीं शताब्दी की देन है।

अन्तर्राष्ट्रीयता की आधुनिक भावना के विकसित करने में आधुनिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों का अनन्य योग रहा है। आधुनिक युग में यातायात, आवागमन के साधनों ने विश्व के विभिन्न देशों के मध्य स्थान और काल की दूरी का अन्त कर दिया है। इसी दूरी की समाप्ति से विभिन्न देशों के मध्य सम्पर्क की वृद्धि हुई है। आज के युग में सामान्यतया कोई भी देश आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर नहीं है। यह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर निर्भर रहता है। इस आर्थिक अन्तः निर्भरता ने भी अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में योग दिया है। आधुनिक युग जनतंत्र का युग है। स्वतन्त्रता, समता, मानव अधिकार तथा बंधुत्व की भावनाएँ जनतंत्र की आधारशिला हैं। अन्तर्राष्ट्रीयता भी इन्हीं आदर्शों में विश्वास करती है। फलतः अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में इन जनवादी प्रवृत्तियों ने भी योग दिया है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र एकान्तिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। विभिन्न

राष्ट्रों की आवश्यकताएँ तथा परिस्थितियाँ एक-दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रेरित करती ह।

शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास हेतु विभिन्न सिद्धान्तों का अनुप्रयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है।

(1) बालकों में स्वतन्त्र रूप से सोचने की शक्ति का सिद्धान्त—

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने का प्रथम सिद्धान्त यह है कि बालकों में स्वतन्त्र रूप से सोचने अथवा विचार करने की शक्ति का विकास किया जाये तथा उनमें प्रत्येक समस्या को वैज्ञानिक ढंग में सुलझाने की आदत डाली जाये। आधुनिक युग में प्रत्येक राष्ट्र अपनी आँखों पर स्वार्थ का चश्मा चढ़ाकर इस बात का ढोल पीटता है कि वह जो कुछ कर रहा है, ठीक है तथा अन्य राष्ट्रों ने अवांछनीय माग अपना रखा है। इस स्वार्थपूर्ण प्रचार से राष्ट्र के नागरिक अपने कर्णधारों की आज्ञाओं का आँख मीचकर पालन करने लगते हैं। जब बालकों में स्वतन्त्र विचार करने की भाक्ति का विकास हो जायेगा तो वे इस बात का आसानी से निर्णय कर सकेंगे कि कौन-कौन सी बातें सत्य हैं तथा कौन-कौन झूठ। इस प्रकार वे पक्षपातपूर्ण विचारों से प्रभावित न होकर अपने राष्ट्र के गुणों तथा दोषों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन कर सकेंगे, व्यर्थ की बातों में न फँस कर सारगर्भित बातों को ही महत्त्व प्रदान करेंगे तथा प्रत्येक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्या को मैत्रीपूर्ण ढंग से सूझबूझ, बुद्धिमत्ता तथा प्रेम और शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करेंगे।

(2) बालकों को प्रशिक्षण देने का सिद्धान्त –

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का यह सिद्धान्त राष्ट्र के बालकों को उनके ज्ञान का उचित प्रयोग करने का प्रशिक्षण देना है जिससे वे अर्जित किये हुए ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में उचित रूप से प्रयोग कर सकें। उनकी समझ में यह भी आ जाये कि जो सिद्धान्त एक राष्ट्र के कार्यों अर्थात् एक विशिष्ट समायोजना में मानव सम्बन्धों के लिए उत्तम होते हैं वही सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र अर्थात् एक अन्य समायोजना में मानव सम्बन्धों के लिये किस प्रकार से समान रूपेण सिद्ध होते हैं। देखने में यह आता है कि राष्ट्रियता से प्रभावित होकर एक राष्ट्र केवल अपने ही व्यक्तियों के साथ मानवता का व्यवहार करता है। वह अपने ही नागरिकों को दया का पात्र समझता है तथा अन्य राष्ट्रों के व्यक्तियों के प्रति उस कोई दया अथवा किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं होती। अन्य राष्ट्रों की कठिनाइयाँ कितनी ही क्यों न हों उसे उनसे कोई सरोकार नहीं।

(3) राष्ट्र प्रेम के उचित अर्थ का सिद्धान्त –

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था में राष्ट्र-प्रेम का अर्थ संकीर्ण राष्ट्रियता न होकर व्यापक रूप में लिया जाना चाहिये। इसका कारण यह है कि संकीर्णता की भावना मानव में सन्देह, द्वेष तथा ईर्ष्या आदि भावनाओं को जन्म देती है। ऐसी संकुचित भावनाओं से प्रेरित होकर राष्ट्र के नागरिक केवल अपने ही राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से हर हालत में ऊँचा समझने लगते हैं। इन्हें अपने राष्ट्र की तुच्छ वस्तु भी सर्वोत्तम लगने लगती है तथा वे अन्य राष्ट्रों की निष्पत्तियों को भी हेय समझने लगते हैं। राष्ट्र प्रेम की यह संकीर्ण भावना मानवता तथा विश्व-बन्धुत्व की भावनाओं का विरोध करती है। आधुनिक युग में विश्व एक इकाई है तथा संसार के सभी राष्ट्र इसके नागरिक हैं। अतः राष्ट्र प्रेम का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने के साथ-साथ विश्व-प्रेम भी होना चाहिये।

(4) निर्भरता का सिद्धान्त –

मानव जाति एक संगठित वर्ग है। इस वर्ग का प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे पर किसी न किसी वस्तु के लिए निर्भर रहता है। किसी भी राष्ट्र को स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। उसे खाद्य पदार्थ, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के लिए दूसरे राष्ट्रों की सहायता लेनी पड़ती है। वस्तुओं के इस परस्पर आदान-प्रदान से ही सभी राष्ट्रों का कार्य चलता रहता है। इस सत्य पर बल देते हुए हमें बालकों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करना चाहिये। अतः शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिये कि बालकों की समझ में यह बात पूरी तरह आ जाये कि हम सब एक-दूसरे पर निर्भर हैं तथा बिना एक-दूसरे की सहायता के हम आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नति नहीं कर सकते। यही एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा मानवता का कल्याण हो सकता है।

(5) भयमुक्त रहने का सिद्धान्त –

आधुनिक युग के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में भय का साम्राज्य है। एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से सदैव भय बना रहता है। देखा यह जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र शक्तिशाली बनने के लिए भयंकर से भयंकर विनाशकारी शस्त्र का निर्माण करता है, सेना का संगठन करता है तथा किसी राजनीतिक गुट का सदस्य बनने में ही अपना कल्याण समझता है। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र युद्ध के द्वार पर खड़ा है। यदि विभिन्न राष्ट्रों के मन से भय को निकाल दिया जाये तो उनमें एक-दूसरे के प्रति स्नेह की भावना जागृत हो सकती है। ऐसी दशा में शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिये कि बालकों का उचित रूप से संवेगात्मक विकास हो जाये और उनके मन में अकारण भय दूर हो जाये तथा समस्याओं को साहस के साथ सुलझाने की शक्ति उत्पन्न होकर उनमें मनुष्य के प्रति विश्वास विकसित हो

जाये। वे यह समझने लगे कि हम सब एक विश्व समाज के सदस्य हैं तथा हम सबके अधिकार और कर्तव्य बराबर-बराबर हैं। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा भयभीत राष्ट्रों के मन से भय को दूर करके उनमें परस्पर प्रेम, विश्वास एवं सद्भावना का विकास किया जा सकता है।

(6) वैयक्तिक तथा सामाजिक चेतना का सिद्धान्त—

अन्तर्राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए सामाजिक चेतना को विकसित करना परम आवश्यक है। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिये कि बालकों के हृदय में सामाजिक कल्याण, सामाजिक आभार एवं उत्तरदायित्व की भावनाएँ उत्पन्न हो जायें, वे अपने समूह तथा अन्य देशों के साथ सहयोग स्थापित कर सकें तथा सफल सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकें। स्मरण रहे कि इस सुझाव का यह अर्थ कदापि नहीं है कि शिक्षा व्यक्तित्व के विकास में बाधक सिद्ध हो। इस प्रकार की शिक्षा 'जीओ और जीने दो' के सिद्धान्त पर निर्धारित होनी चाहिये। इसलिए प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों के विकास तथा समाज के कल्याण को दृष्टि में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से हो जानी चाहिये कि व्यक्ति तथा समाज दोनों ही उन्नति की ओर बढ़ते रहें तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति बनी रहे।

(7) सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त —

इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक बालक को आरम्भ से ही इस बात की शिक्षा देनी चाहिये कि समस्त संसार एक है। यह बट नहीं सकता। हम सब इसके नागरिक हैं। इसकी

भलाई या बुराई का उत्तरदायित्व हम सभी पर समान रूप से है। इस प्रकार की शिक्षा बालकों को विश्व नागरिकता के लिए तैयार करेगी तथा उनका ध्यान सम्पूर्ण मानव जाति हितों के लिए आकर्षित होगा। यही नहीं, वे यह भी समझ जायेंगे कि वि” व के सारे नागरिक उनके मित्र हैं तथा उन्हें उनके साथ सद्भावनापूर्वक रहना चाहिये।

8. कार्य रूप में परिणित करने के सिद्धान्त –

सिद्धान्तों की सफलता केवल उसी समय सम्भव है जब इनको कार्य रूप में परिणित किया जाये। बालकों के हृदय में केवल अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को जागृत करना ही सब कुछ नहीं अपितु आवश्यकता इस बात की भी है कि सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणित करने के लिए बालकों को उपयुक्त अवसर प्रदान किये जायें जिससे उनको अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शों की प्राप्ति सरलतापूर्वक हो जाये। इस सम्बन्ध में बालकों की रचनात्मक क्रियाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिये।

9. पाठ्यक्रम के उच्च आदर्शों का सिद्धान्त—

पाठ्यक्रम में संसार के सभी राष्ट्रों में रहने वाले लोगों के धर्मा, आदर्श, आचार—विचारों, रीति—रिवाजों, उद्योग—धन्धों तथा रहन—सहन आदि तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिये। पाठ्यक्रम में उन सभी कार्यों एवं प्रयासों को सम्मिलित किया जाना चाहिये जो मानव जाति के कल्याण हेतु किये गये हैं।

पाठ्यक्रम में संसार के विभिन्न राष्ट्रों के साहित्य, संगीत तथा कला कृतियों एवं चित्रकला आदि को उपयुक्त स्थान मिलना चाहिये स्कूल के समस्त विषयों को जैसे विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास, गणित, शिक्षण विधियाँ नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा दर्शन आदि विषयों की शिक्षा व्यवस्था भी सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पक्षों पर बल देते हुए इस ढंग से की जा सकती है कि बालकों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो जाये।

10. शिक्षक के व्यापक दृष्टिकोण का सिद्धान्त –

बालकों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने के लिए शिक्षक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। ध्यान देने की बात है कि पाठ्यक्रम का सफल अथवा असफल होना शिक्षक के व्यक्तित्व, आदर्श, विश्वास, श्रद्धा, कार्यनिष्ठा, दृढ़ता, पटुता तथा निजी उत्साह एवं विशाल दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि शिक्षक में उक्त सभी गुण हैं तो वह बालकों को उस आदर्श को अपनाने के लिए अवश्य प्रेरित कर सकता है जिसे वह उत्तम समझता है तथा जिस पर वह शिक्षण करते समय विशेष बल दे रहा है। इस दृष्टि से बालकों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास केवल वही शिक्षक कर सकता है जो उक्त सभी गुणों से परिपूर्ण होते हुए स्वयं भी इस भावना से ओत-प्रोत हो।

विशाल हृदय तथा व्यापक दृष्टिकोण वाला शिक्षक बालकों के मस्तिष्क में इस बात को आसानी से अंकित कर सकता है कि वर्ण, जाति तथा धर्म आदि मानव को मानव से पृथक् नहीं कर सकते अपितु ये तो केवल उसकी निजी भावनायें ही हैं जो उसको एक-दूसरे से अलग कर सकती हैं। वह बालकों के हृदय में इस भावना को भी भर सकता है कि संसार एक-इकाई है तथा उसका राष्ट्र इस इकाई का एक भाग है।

निष्कर्ष—

संसार के सभी दार्शनिकों, शिक्षाशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों तथा वैज्ञानिकों एवं समाज सुधारकों ने एकमत होकर इस बात को स्वीकार किया है कि बालकों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने के लिए जहाँ एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय संघ अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ दूसरी ओर इससे भी आवश्यक यह है कि प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक अन्य राष्ट्रों के नागरिकों की कठिनाइयों का अनुभव करें तथा उनकी प्रशंसनीय

बातों का आदर करें। इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने के लिए केवल शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली साधन है। इसका कारण यह है कि स्कूल का एक विशेष वातावरण होता है। अतः स्कूल सर्वोत्तम सांस्कृतिक तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करता है और निष्पक्षता तथा सत्य के क्षेत्रों में समाज के साधारण स्तर से बहुत ऊँचा होता है। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास हेतु सैद्धान्तिक अनुप्रयोग बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

1. गुप्ता, एस.पी. भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, भारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, संस्करण- 2012
2. पाठक, आर.पी., आधुनिक भारतीय शिक्षा संस्थाएँ एवं समाधान, कनिश्क पब्लि”र्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण- 2010
3. पाठक, आर.पी., शिक्षा सिद्धान्त, कनिश्क पब्लि”र्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण- 2014
4. भट्टाचार्य, डॉ.जी.सी., अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिके”न्स, आगरा, ‘शठ संस्करण- 2011
5. मिश्र, प्रो. भास्कर, शिक्षक और समाज, नाग पब्लि”र्स, नई दिल्ली प्रथम संस्करण- 2002
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
7. लाल, प्रो. रमन बिहारी, शिक्षा के दा”निक एवं समाज भास्त्रीय आधार, आर.लाल बुक डिपो मेरठ

8. सक्सना, एन.आर.स्वरूप, "िाक्षा के दा" िनिक एवं समाज" ास्त्रीय आधार, आर.लाल. बुक.डिपो, मेरठ, प्रथम संस्करण- 2016